आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा 2008(2)
ई.एच.सी. बलजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश)

माननीय न्यायाधीश मेहताब एस. गिल और माननीय न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मासिह के समक्ष

ई.एच.सी. बलजीत सिंह - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

2007* का सीडब्ल्यूपी नंबर *18869

22* सितम्बर *2008

भारत का संविधान, *1950*- अनुच्छेद *226*-पंजाब पुलिस नियम, *1934*- नियम *13.7*-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988*- धारा *7, 13, 49/88*-रिश्वत मांगने का आरोप-याचिकाकर्ता के खिलाफ *1988* अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज करना-विभाग अनुशासनहीनता, लापरवाही और कदाचार के गंभीर कृत्य के लिए विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर रहा है-क्या आपराधिक कार्यवाही के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है - अभिनिर्धारित, नहीं -जांच कार्यवाही पूरी हो गई - कानून और तथ्यों का कोई जटिल प्रश्न नहीं - आपराधिक मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिकार पर कोई पूर्वाग्रह नहीं - याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित, कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और न ही ऐसी सभी स्थितियाँ, जिनका पूर्वानुमान और विस्तार किया जा सकता हो और जहां यह कहा जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही रोकी जानी चाहिए या होनी चाहिए। प्रत्येक मामले को मामले के व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित भी किया कि विभागीय कार्यवाही और एफआईआर में आरोप पत्र में आरोपों के अवलोकन से पता चलता हैं कि इसमें तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्न शामिल नहीं हैं। यह एक साधारण मामला है जहां *5000* रुपये की रिश्वत की मांग की गई और याचिकाकर्ता को इसे स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा, इस स्तर पर, जब उसे पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है और जांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, तो याचिकाकर्ता को यह दलील को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि मुकदमे में उसका बचाव गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित होगा।

(पैरा 10)

जे.एस. मणिपुर, याचिकाकर्ता के वकील।

हरीश राठी, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे.

(1) याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है क्योंकि एफ.आई.आर. और विभागीय कार्यवाही में लगाए गए आरोप, एक जैसे है। याचिकाकर्ता पूर्वाग्रहग्रस्त होगा क्योंकि उसे विभागीय कार्यवाही में अपने बचाव का खुलासा करना होगा जो आपराधिक कार्यवाही में उसके रुख पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने आगे कहा कि विभागीय कार्यवाही समाप्त हो गई है और जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित करके याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनका कहना है कि सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक कार्यवाही, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, के चरण में है और यदि उससे पहले विभागीय कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता को एक अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि आपराधिक न्यायालय के समक्ष उसका बचाव पूर्वाग्रह से ग्रस्त होगा। उन्होंने **नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन बनाम नोएडा और अन्य**[1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ देकर, यह तर्क दिया हैं कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले में आरोप अगर समान और समान तथ्यों पर आधारित हैं और अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्यों के परस्पर विरोधी प्रश्न शामिल हैं और इसलिए, आपराधिक मामले के समापन तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।

(2) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के वकील का कहना है कि इस मामले में तथ्यों और कानून के कोई जटिल प्रश्न शामिल नहीं हैं। यह एक साधारण मामला है जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि जब वह पुलिस स्टेशन सदर हांसी में तैनात था, तो राम बिलास पुत्र राज कुमार शर्मा, निवासी नेहला, जिला फतेहाबाद को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और बताया गया कि मंजीत सिंह पुत्र राजबीर सिंह, उसके भतीजे को थाना सदर हांसी में एफ.आई.आर. क्रमांक *219* दिनांक *10* अगस्त *2006* धारा *382* आईपीसी के अंतर्गत में गिरफ्तार किया गया है।याचिकाकर्ता ने उक्त राम बिलास को धमकी दी कि

---

[1]2007 (2) आरएसजे 504

अगर उसे *5000* रुपये की रिश्वत नहीं दी गई तो वह उसके भाई को भी इस मामले में शामिल कर लेगा। याचिकाकर्ता ने इस *5000* रुपये की रकम के लिए रामबिलास पर दबाव डाला। राम बिलास ने तंग आकर , *21* अगस्त, *2006* को पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हिसार को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लिखित शिकायत दी। इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने याचिकाकर्ता को रंगे हाथों पकड़ लिया और उससे *5000/-* रूपये जो उसने रिश्वत के तौर पर माँगे थे, उन *5000* रुपये की वसूली की। एफ.आई.आर. नंबर *50* दिनांक *21* अगस्त, *2006* को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, *1988* की धारा *7, 13, 49/88* के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस स्टेशन, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा, हिसार में मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद याचिकाकर्ता को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया और उक्त मामला अभी भी उसके खिलाफ लंबित है। याचिकाकर्ता का राम बिलास से *5000/-* रुपये की रिश्वत लेने का कृत्य, गंभीर अनुशासनहीनता और लापरवाही का कार्य है, जिससे जनता की नजरों में पुलिस विभाग का नाम और छवि खराब हुई है और इसलिए, इस अनुशासनहीनता और लापरवाही और कदाचार के गंभीर कृत्य के लिए उन पर आरोप लगाया गया है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उत्तरदाताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक अभियोजन और विभागीय जांच का इरादा और उद्देश्य एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं; उनका स्वभाव भिन्न है; और उनके प्रभाव अलग-अलग होते हैं। आपराधिक अभियोजन में, आरोपी पर समाज के प्रति अपराधी के कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाता है या जिसके उल्लंघन के लिए, कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अपराधी जनता को संतुष्ट करेगा। यह कानून का उल्लंघन है या सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके लिए अदालत आरोपी पर मुकदमा चलाती है और दोषी पाए जाने पर उसे तदनुसार दंडित करती है। विभागीय जांच में, यह मुख्य रूप से सेवा में अनुशासन बनाए रखने और यह देखने के इरादे से होता है कि सार्वजनिक सेवा में दक्षता बनी रहे।

(3) हमने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

(4) **कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड**[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ संकेत तथ्य स्थितियाँ के दिए जो प्रश्न को नियंत्रित करेंगी जहां विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जा सकता है , किसी अपराधी मामला के लंबित रहने के दौरान।। इस पहलू पर कानून पर विचार करने के बाद निष्कर्षों को उसके पैराग्राफ *22* में संक्षेपित किया गया था जो इस प्रकार है: -

---

[2]1999 (3) एससीसी 679

(i) " विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले की कार्यवाही एक साथ चल सकती है क्योंकि उन्हें अलग-अलग होते हुए भी एक साथ चलाने पर कोई रोक नहीं है।

(ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित है और अपराधी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, तो यह वांछनीय होगा अगर आपराधिक मामले के समापन तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाएं।

(iii) क्या किसी आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या उस मामले में तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, वह निम्नलिखित आधार पर आधारित होगा जो की हैं उस अपराध की प्रकृति, कर्मचारी के खिलाफ शुरू किए गए मामले की जांच के दौरान उसके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य और सामग्री की प्रकृति या जैसा कि आरोप-पत्र में दर्शाया गया है उस पर निर्भर करेगा।

(iv) उपरोक्त (ii) और (iii) में उल्लिखित कारकों को विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अलग से नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती है।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ता है या इसके निपटान में अनावश्यक देरी हो रही है, तो विभागीय कार्यवाही, भले ही आपराधिक मामले की लंबितता के कारण रोक दी गई हो, फिर से शुरू की जा सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है ताकि उन्हें शीघ्र तिथि के भीतर अंतिम रूप दिया जा सके, ताकि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसके सम्मान की रक्षा की जा सके और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो प्रशासन उससे जल्द से जल्द छुटकारा दिला सके।"

(5) **राजस्थान राज्य बनाम बी.के. मीना और अन्य**[3] **के** मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के संबंध में कानून निर्धारित किया है और पैरा 14 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

"14. उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट होगा कि उनमें से प्रत्येक निर्विवाद प्रस्ताव से शुरू होता है कि दोनों कार्यवाही को एक साथ चलने में कोई कानूनी बाधा नहीं है और फिर कहते हैं कि कुछ स्थितियों में, ' जब कोई आपराधिक मामला समान आरोपों पर लंबित

---

[3]1996 (6) एससीसी 417

हो तो अनुशासनात्मक जांच के साथ आगे बढ़ना उचित या 'यह 'वांछनीय' नहीं हो सकता है । इस बात पर जोर दिया जाता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला मामला है और इस संबंध में कोई भी कठोर नियम लागू नहीं किए जा सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए वैध आधार के रूप में उपरोक्त निर्णयों में सुझाया गया एकमात्र आधार यह है कि "आपराधिक मामले में कर्मचारी की रक्षा के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए"। हालाँकि, इस आधार को यह प्रावधान करके रोका गया है कि तथ्य और कानून के सवालों से जुड़े गंभीर प्रकृति के मामलों में ऐसा किया जा सकता है। हमारी सम्मानजनक राय में, इसका मतलब है कि न केवल आरोप गंभीर होने चाहिए बल्कि मामले में भी शामिल होना चाहिए कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न। और इसके अलावा, 'उचितता', 'वांछनीयता' या 'औचित्य', जैसा भी मामला हो, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए। जमीन डी.सी.एम. और टाटा ऑयल मिल्स में दर्शाई गया आधार भी कोई अटल नियम नहीं है। यह केवल एक कारक है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाने की उपयुक्तता या वांछनीयता का आकलन करते समय उसके पैमानों पर जाएगा। विवादास्पद विचारों में से एक यह है कि अनुशासनात्मक जांच में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती और न ही की जानी चाहिए। जहाँ तक आपराधिक मामलों का सवाल है, यह सर्वविदित है कि वे अंतहीन रूप से खिंचते रहते हैं जहाँ पर उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन अधिकारी या व्यक्ति शामिल होते हैं। वे किसी न किसी आधार पर फंस जाते हैं। वे शायद ही कभी किसी त्वरित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार-बार सलाह और चेतावनी के बावजूद यही वास्तविकता है। यदि किसी आपराधिक मामले में अनावश्यक देरी हो रही है तो यह अपने आप में अनुशासनात्मक जांच को आगे बढ़ाने का एक अच्छा आधार हो सकता है, भले ही प्रशासन और अच्छी सरकार मांग करती है कि ये कार्यवाही शीघ्रता से समाप्त की जाए। यह याद रखना चाहिए कि यह प्रशासन के हित की मांग है कि अवांछनीय तत्वों को बाहर निकाला जाए और दुष्कर्म के किसी भी आरोप की तुरंत जांच की जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही का उद्देश्य वास्तव में दोषियों को दंडित करना नहीं है, बल्कि बुरे तत्वों से छुटकारा दिलाकर प्रशासनिक मशीनरी को निष्कलंक रखना है। अपराधी अधिकारी का हित भी अनुशासनात्मक कार्यवाही के शीघ्र समापन में निहित है। यदि वह आरोपों के लिए दोषी नहीं है, तो उसके सम्मान की जल्द से जल्द पुष्टि की जानी चाहिए और यदि वह दोषी है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। यह प्रशासन के हित में भी नहीं है कि गंभीर दुष्कर्म के आरोपी व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक, यानी आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा में लंबे समय तक पद पर रखा जाए। यह प्रशासन के हित में नहीं है। यह केवल दोषियों और बेईमानों का हित साधता है। हालाँकि अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक के पक्ष और विपक्ष में विभिन्न कारकों की

गणना करना संभव नहीं है, लेकिन हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण विचारों पर जोर देना आवश्यक समझा कि अक्सर आपराधिक कार्यवाही लंबित होने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबे समय तक रुकी रहती है। अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकती और न ही होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष में सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए।"

और फिर पैरा 17 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही के बीच अंतर बताया है जो इस प्रकार है: -

" 17. एक और कारण है। आपराधिक कार्यवाही और अनुशासनात्मक कार्यवाही में दृष्टिकोण और उद्देश्य पूरी तरह से अलग है। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी ऐसे आचरण का दोषी है जिसके कारण उसे सेवा के पद से हटाया जा सकता है या कम सज़ा, जैसा भी मामला हो, जबकि आपराधिक कार्यवाही में सवाल यह है कि क्या उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (और भारतीय दंड संहिता, यदि कोई हो) के तहत दर्ज अपराध स्थापित हैं और, यदि स्थापित हैं, तो क्या उस पर सजा दी जानी चाहिए। सबूत के मानक, जांच का तरीका और दोनों मामलों में जांच और परीक्षण को नियंत्रित करने वाले नियम पूरी तरह से अलग - अलग हैं। आपराधिक कार्यवाही लंबित होने तक अनुशासनात्मक कार्यवाही पर रोक लगाना, दोहराने का मामला नहीं होना चाहिए लेकिन बेशक एक सुविचारित निर्णय। भले ही एक स्तर पर रुका हुआ हो, लेकिन आपराधिक मामले में अनावश्यक देरी होने पर निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।"

(6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन का मामला** (सुप्रा) में निर्धारित कानून को दोहराया है जिसे याचिकाकर्ता के वकील द्वारा संदर्भ में दिया गया था और यह पैरा 11 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

" 11. विभागीय जांच और अभियोजन का उद्देश्य दो अलग-अलग और विशिष्ट पहलू हैं। आपराधिक मुकदमा उस अपराध के लिए शुरू किया जाता है, जो अपराधी के समाज के प्रति कर्तव्य के उल्लंघन के लिए होता है, या उस कानून के उल्लंघन जिसके लिए अपराधी को जनता को संतुष्ट करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए अपराध कानून के उल्लंघन या सार्वजनिक कर्तव्य की चूक में किया गया कार्य है। विभागीय जांच सेवा में अनुशासन और सार्वजनिक सेवा की दक्षता बनाए रखने के लिए है। इसलिए, यह समीचीन होगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की कार्यवाही संचालित

एवं यथासंभव शीघ्रता से सम्पन्न की जाए। इसीलिए, किसी भी दिशानिर्देश को अनम्य नियमों के रूप में निर्धारित करना वांछनीय नहीं है जिसमें दोषी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा लंबित रहने तक विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं भी लगाई जा सकती है। प्रत्येक मामले पर उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों की परिप्रेक्ष्य में विचार करने की आवश्यकता है। किसी आपराधिक मामले की विभागीय जांच और सुनवाई एक साथ आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी जब तक कि आपराधिक मुकदमे में आरोप गंभीर प्रकृति के ना हो या जिसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हों। अपराध आम तौर पर सार्वजनिक कर्तव्य का उल्लंघन दर्शाता है, जो कि आपराधिक कानून के तहत दंडनीय, निजी अधिकारों से अलग है। जब आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है तो अपराध के सबूत, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में साक्ष्य अधिनियम') के प्रावधानों के तहत परिभाषित साक्ष्य के अनुसार होना चाहिए। विभागीय जांच के मामला में उल्टा है। विभागीय कार्यवाही में जांच संबंधित वैधानिक नियमों या कानून के तहत परिभाषित हैं और दोषी अधिकारी के कदाचार, कर्तव्य के आचरण या उल्लंघन के लिए उसे दंडित करने के से संबंधित है। सबूत के सख्त मानक या साक्ष्य अधिनियम की प्रयोज्यता को बाहर रखा जाना एक स्थापित कानूनी स्थिति है। इन परिस्थितियों में, यह देखने की आवश्यकता है कि क्या विभाग की जांच किसी आपराधिक मामले के मुकदमे में अपराधी के बचाव में गंभीरता से प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। यह हमेशा तथ्य का प्रश्न है जिस पर प्रत्येक मामले में उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।"

(7) इसलिए जो स्थिति उभरती है, वह यह है कि कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है और न ही ऐसी सभी स्थितियाँ हो सकती हैं जिनका पूर्वानुमान और विस्तार किया जा सकता है और जहां यह कहा जा सकता हो कि विभागीय कार्यवाही रोकी जानी चाहिए या होनी चाहिए। प्रत्येक मामले को मामले के व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए और **कैप्टन एम. पॉल एंथनी के मामले (सुप्रा)** में निर्धारित व्यापक सिद्धांतों को लागू करते हुए, अदालत को इस सवाल का फैसला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि क्या विभागीय कार्यवाही को आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं।

(8) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उसे विभागीय कार्यवाही में अपने बचाव का खुलासा करना होगा जो सीधे आपराधिक न्यायालय के समक्ष उसके रुख को प्रभावित करेगा, कायम नहीं रखा जा सकता है।

(9) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है क्यूँकि जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूरी कर ली और 19 नवंबर, 2007 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी । इसके बाद, दंड प्राधिकारी ने, अपने आदेश दिनांक 15 दिसंबर, 2007 के तहत याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया है और विभाग द्वारा उसके खिलाफ पेश किए गए गवाहों की प्रतिपरीक्षा की है।

(10) विभागीय कार्यवाही एवं एफ.आई.आर. में आरोप पत्र में लगाये गये आरोपों का अवलोकन, यह दिखाएगा कि इसमें तथ्यों और कानून के जटिल प्रश्न शामिल नहीं हैं। यह एक साधारण मामला है जहां 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई और याचिकाकर्ता को इसे स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। इसके अलावा, इस स्तर पर, जब उसे कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है और जांच की कार्यवाही पूरी हो चुकी है, तो याचिकाकर्ता को यह दलील स्वीकार नहीं की जा सकती है कि आपराधिक मामले के मुकदमे में उसका बचाव गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित होगा।

(11) हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि याचिकाकर्ता एक अनुशासित बल का सदस्य है। वह एक पुलिस अधिकारी हैं जो सीधे जनता से रूबरू रहते है । आरोप रिश्वतखोरी के हैं। भ्रष्टाचार, किसी भी रूप में , प्रशासनिक तंत्र में लाभकारी नहीं हो सकता और न ही होगा। विभागीय कार्यवाही शुरू करने और आगे बढ़ने के माध्यम से, दोषी कर्मचारी को अपना बचाव करने का उचित मौका दिया जाता है। प्रशासन के हित की मांग है कि दोषी अधिकारी को दोषी ठहराए जाने की स्थिति में कानून की उचित प्रक्रिया के बाद अवांछित तत्वों को बाहर कर दिया जाए। कार्रवाई शीघ्र और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। यह दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है (i) यदि अपराधी कर्मचारी एक अवांछनीय तत्व है, तो प्रशासनिक मशीनरी को बेदाग रखने के लिए उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना आवश्यक है; और (ii) यदि वह आरोपों के लिए दोषी नहीं है, तो दोषी कर्मचारी का सम्मान बहाल किया जाना चाहिए। यह भी प्रशासन के हित में नहीं है कि जिन व्यक्तियों पर गंभीर दुष्कर्म का आरोप है उन्हें आपराधिक कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा में अनिश्चित काल तक या लंबी अवधि तक कार्यालय में बने रहना चाहिए। यह प्रशासन और कर्मचारी दोनों के हित में है कि प्रशासन या कर्मचारी को किसी भी अनुचित कठिनाई या किसी अनुचित लाभ से बचने के लिए मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

(12) वर्तमान मामला वह है जहां हमारा विचार है कि यदि आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान विभागीय कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई तो याचिकाकर्ता के हितों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(13) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अभिनिर्धारित किया गया और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु तंवर
प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़